भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2344

सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

मध्य प्रदेश में तीर्थ स्थलों का विकास

†2344. **श्री विष्णु दत्त शर्मा:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में धार्मिक और विरासत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रसाद (तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान) योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में तीर्थ स्थलों या विरासत स्थलों की पहचान की है या उनका विकास किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के तहत अवसंरचना विकास और पर्यटन सुविधाओं के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजना "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान" (प्रशाद) के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में चिह्नित धार्मिक और विरासत स्थलों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है, जो धन की उपलब्धता, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की

प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, पूर्व में जारी निधि के उपयोग आदि के अध्यधीन है।

पर्यटन मंत्रालय ने प्रशाद योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

परियोजना का नाम	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99
ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	43.93

*****